

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
भूखण्ड संख्या-1, सैक्टर नॉलेज पार्क-4 ग्रेटर नौएडा सिटी,
गौतम बुद्ध नगर

पत्रांक:-नियो0/2017/बीपी-353/3839
दिनांक 13/06/2018

सेवा में,

M/S Hebe Infrastructure Pvt.Ltd.
C-227, Vivek Vihar
New Delhi-110095

विषय: M/S HEBE INFRASTRUCTURE PVT.LTD. के पत्र दिनांक 17.05.2018 द्वारा भूखण्ड सं० जीएच-10ए, सैक्टर-10, ग्रेटर नौएडा, में अतिरिक्त एफ0ए0आर0 क्रय करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 11.12.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें माध्यम से आपके द्वारा भूखण्ड सं०-जीएच-10ए, सैक्टर-10, ग्रेटर नौएडा में अतिरिक्त एफ0ए0आर0 क्रय किये जाने एवं देय शुल्क का भुगतान करने की अनुमति चाही है। इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी ग्रेटर नौएडा द्वारा निम्न प्रतिबंधों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

1. आवंटन के समय लीज डीड की शर्तों के अनुसार भूखण्ड का क्षेत्रफल =24540.00 वर्ग मीटर पर क्रय योग्य एफ.ए.आर =662.018 वर्ग मीटर (आवासीय-655.397 व वाणिज्यिक-6.621 वर्ग मीटर) पर अनुमन्य एफ0ए0आर0 2.75 के सापेक्ष 3.50 एफ0ए0आर0 की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. लीज डीड की शर्तों के अनुसार उपरोक्त अतिरिक्त एफ0ए0आर0 पर प्रयोग अनुमन्य होगा। अनुमन्य भू-आच्छादन की सीमा के अन्तर्गत ही नये अतिरिक्त भवन का निर्माण किया जा सकता है।
3. संस्था को क्रय योग्य एफ0ए0आर0 के सम्बन्ध में उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त पृथक से वांछित प्रपत्रों एवं निर्धारित शुल्क के साथ मानचित्र स्वीकृति आवेदन करना होगा।
4. संस्था को भवन निर्माण के सम्बन्ध में आई0आई0टी0/राष्ट्रीय प्राद्योगिकी संस्था द्वारा जांच किया गया/सत्यापित किया गया संरचना अविकल्प प्रस्ताव एयर पोर्ट अथार्टी से अनापत्ति, पर्यावरणीय अनापत्ति एवं अग्नि शमन सुरक्षा के लिए अग्नि शमन विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर प्राधिकरण में जमा करना होगा।
5. संस्था को क्रय योग्य एफ0ए0आर0 के सापेक्ष अपने परीसर में ग्रेटर नौएडा भवनविनियमावली के अनुसार आवश्यक पार्किंग की व्यवस्था, हरित क्षेत्र एवं रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान करना होगा।
6. सैट बैक में भू-आच्छादन अनुमन्य नहीं होगा।
7. उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में प्राधिकरण से भविष्य में संस्था/फर्म द्वारा किसी भी अनुतोष अथवा लाभ का इस आधार पर माँग नहीं की जायेगी।
8. संस्था द्वारा मानचित्र स्वीकृति से पूर्व वर्तमान तक निर्धारित समय विस्तरण शुल्क जमा कराया जायेगा।
9. समयविस्तरण आवंटन/लीजडीड में उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही मान्य होगा तथा कोई भी अतिरिक्त समयविस्तरण नियमानुसार निर्धारित दण्ड शुल्क अदा करके प्राप्त किया जायेगा।
10. उक्त भूखण्ड पर क्रय योग्य एफएआर को लीजडीड में निर्धारित समयसीमा के अन्दर निर्माण कार्य पूर्ण किया जायेगा। क्रय योग्य एफएआर की स्वीकृति के क्रम में कोई समयविस्तरण अनुमन्य नहीं कराया जायेगा।
11. प्रसंगत भूखण्ड में क्रय योग्य एफ0ए0आर0 =662.018 वर्ग मीटर क्रय किये जाने के लिए कुल देय शुल्क रुपये =22,37,863/- (बाईस लाख सैंतिस हजार आठ सौ तिरैसठ रू० मात्र) तथा 18%GST Rs. 4,02,816/- देय होगा। अर्थात् कुल धनराशि रू० 26,40,679/- (छब्बीस लाख चालिस हजार छः सौ उन्नासी रू० मात्र) है। क्रय योग्य एफ.ए.आर के मूल्य का GST सहित को पत्र जारी होने के 30 दिन के अन्दर (जो भी पहले हो) क्रय योग्य एफ.ए.आर. के मानचित्र स्वीकृति से पूर्व जमा कराना होगा। उक्त धनराशि निर्धारित समयावधि में जमा न कराने की दशा में उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी। पुनः आवेदन पर पूर्ण शुल्क एवं उस समय प्रचलित दरों की गणना के साथ मानचित्र स्वीकृत कराने होंगे। निर्धारित समय के अन्दर जमा धनराशि की रसीद नियोजन विभाग में जमा करानी होगी। यदि भविष्य में इस मद में कोई धनराशि देय होगी तो वह जमा करायी जानी अनिवार्य होगी। कृपया उपरोक्त औपचारिकतायें नियमानुसार पूर्ण करने का कष्ट करें।


(बलरज कृष्ण त्रिपाठी)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक(सम्पत्ति/वित्त) को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी